

६. 2. 26

फावली पेभ दुई जाही अधिवक्ता अजपासिन
प्रकरण का मूलबाड अडम हाजरी. अडम पेटी में जासिम
होने ले प्राथम पत्र मे अब काई कार्यवाही शेष नही रहनी
है

कतः जाहीना पत्र इली स्तर पर कादेश 9 अदि 88
तहत जासिम किया जात है निर्णय सो इजाजत पुनः
गया। प्रकरण फेजल मुदा होरा नकर से कम हो।

§

(ए. लांड डण)

IMS